न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 554/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1147/2026]

[CNR No. UPFZ010033882026]

1. अरविन्द कुमार सिंह उर्फ कप्तान सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह,
2. अनिल सिंह उर्फ करिया सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह,

निवासीगण ग्राम पिठला, थाना कुमारगंज, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 554/2026, मुकदमा अपराध संख्या 79/2026, अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) भा०न्या०सं०, थाना कुमारगंज, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा उनका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्तगण के अनुसार उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उनकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से यह तर्क किया गया कि वे निर्दोष हैं। प्रस्तुत मामले में उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। वे दिनांक 19.05.2026 से जेल में निरूद्ध हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चोटहिल की चोटों से धारा 109 भा०न्या०सं० का अपराध नहीं बनता है। वे जमानत देने के लिये तैयार हैं। अतः उन्हें जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 17.05.2026 को शाम करीब 20.45 बजे वादी अनीत कुमार सिंह का भाई अनूप कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह की दुकान से उठकर अपने घर जा रहा था। रायबरेली नेशनल हाइवे पार कर फार्मेसी की दुकान की तरफ पहुंचा, तभी घात लगाकर बैठे अजीत सिंह उर्फ ठनगू, अरविन्द कुमार सिंह उर्फ कप्तान, अनिल सिंह उर्फ करिया, सावन सिंह, अमन सिंह लाठी, डण्डा एवं लोहे की राड

Digitally signed by RANJANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.05 16:54:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लेकर गाली देते हुये दौड़कर जान से मारने की नीयत से अनूप कुमार पर हमला कर दिया व बुरी तरह मारे पीटे।

8. घटना में अभियुक्तगण के विरूद्ध सामान्य आरोप लगाये हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण की कोई विशिष्ट भूमिका होना दर्शित नहीं है। चोटहिल के एक्स–रे रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर आना दर्शित नहीं है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 19.05.2026 से जेल में निरूद्ध हैं। थाने की आख्या में प्रार्थी/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास होना दर्शित है, परन्तु किसी मामले में उनकी दोषसिद्ध होने का कोई उल्लेख नहीं है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 554/2026, मुकदमा अपराध संख्या 79/2026, अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) भा०न्या०सं०, थाना कुमारगंज, जनपद अयोध्या के अभियोग में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को उनके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000–50,000 (पचास–पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 05.06.2026